सत्ता के लालची लोगों ने तुष्टिकरण और स्वार्थ की राजनीति के चलते किया विभाजन : भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने निभाई जिम्मेदारी, पीड़ितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा किया : मुख्यमंत्री

जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की ओर से आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पार्टी नेताओं ने तिरंगा झंडा फहराया।

- विभाजन ''मजबूरी'' नहीं बल्कि सत्ता का लोभ और कांग्रेस की मंजूरी का परिणाम : अशोक परनामी
- सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में सत्ता होती, तो टल सकता था देश का विभाजन : परनामी

जयपुर । भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी बिडला आडिटोरियम में आयोजित की गई।

संगोष्ठी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभाजन को दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बताते हुए कहा कि आजादी से ठीक पहले 10 लाख लोगों की हत्या हुई, लाखों परिवार उजड़ गए। देश की आजादी के लिए महान पुरुषों ने खुद को समर्पित किया, लेकिन सत्ता का लालच और तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को बांट दिया। जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की, लालच की राजनीति की उन लोगों के कारण हमारे देश के हिन्दुओं को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। ''पाकिस्तान से जो ट्रेनें आती थीं, वे लाशों से भरी होती थीं। यह विभाजन की भयावहता को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि यह केवल भूतकाल की पीड़ा नहीं है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आने वालों को नागरिकता देने का दायित्व जिनकी सरकारों पर था, वे असफल रहीं। नागरिकता देना तो दूर इन सत्ता के लालचियों ने बिल बनाकर उनकी संपत्ति का कोई मुआवजा तक देने से इनकार कर दिया। जिस कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी कर दी थी, आज वहीं कांग्रेस हमें एकता का पाठ पढ़ा रही है।

जिस कांग्रेस ने इस देश का बांटा, वो कभी देश संभाल नहीं सकती, जिसने इस देश को तोड़ा वो लोगों को कभी जोड़ नहीं सकती। ऐसे आस्तिन के सांपों को मुंह उठाने से पहले ही कुचल देना चाहिए। आजादी के कई दशकों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह जिम्मेदारी निभाई है और पीड़ितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा किया। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने विभाजन के समय लाखों शरणार्थियों की सेवा की।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अशोक परनामी ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों ने जो कष्ट झेले, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।

धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार करना, विस्थापितों की पीड़ा सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। परनामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास करवा कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दिवस राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि इतिहास की सच्चाई को जन-जन तक पहुंचाने और उस त्रासदी से सीख लेने के लिए मनाया जा रहा है।

परनामी ने विभाजन के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह ''मजबूरी'' नहीं बल्कि सत्ता का लोभ और कांग्रेस की मंजूरी का परिणाम था। यदि सत्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होती, तो देश का विभाजन टल सकता था। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को संपत्ति मुआवजा न देने का भी आरोप लगाया। परनामी ने कहा कि पाक से आने वाला प्रत्येक हिन्दू शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी है। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया कि जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को इतिहास के काले पन्नों से निकाल कर देश के सामने रखने के लिए 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को देशभर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जोगाराम पटेल, गौतम दक, केके विश्नोई,विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य महाराज, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, नाहर सिंह जोधा, सरदार अजयपाल सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, प्रदेश मंत्री एवं कार्यक्रम प्रदेश सह संयोजक भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला,अजीत मांडण, स्टेफी चौहान, मिथलेश गौतम, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, पूर्व कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, मेयर सौम्या गुर्जर, कुसुम यादव, जयपुर शहर कार्यक्रम संयोजक राजेश ताम्बी, सह प्रभारी जयपुर शहर नरेश बंसल और भाजपा प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मंच संचालन पूर्व विधायक एवं कार्यक्रम प्रदेश सह संयोजक रामलाल शर्मा ने किया।

आमजन को निर्बाध, नियमित जलापूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

पेयजल परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करें, लापरवाही बरतने वालों पर सख्त एक्शन लें: भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत और जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद थे।

- पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड कटिंग और उसके पुनर्निर्माण के संबंध में जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण एवं स्वायत्त शासन विभाग के तालमेल रखें। दुबारा सड़क बनने के बाद गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी जांच भी करवाएं।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि आमजन को निर्बाध और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वृहद् जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इनसे प्रदेशभर में आमजन को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। शर्मा ने लंबित परियोजनाओं की निविदाओं में गति लाते हुए कार्यादेश शीघ्र जारी करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को विभिन्न चरणों में विभक्त कर उनका सतत् पर्यवेक्षण किया जाए। अधिकारी फील्ड में जाएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अगर कॉन्ट्रेक्टर द्वारा तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया जाए तो जुर्माना भी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में दीर्घकालिक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, वहां अन्य विकल्प तलाशते हुए पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को होगा। उपभोक्ताओं को सुगमता से नल से जल मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत अवैध कनेक्शन धारकों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के क्रियान्वयन के संबंध में भी व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन बिछाने के लिए होने वाली रोड कटिंग और उसके पुनर्निर्माण के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं स्वायत्त शासन विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही, उन्होंने सड़क पुनर्निर्माण में गुणवत्ता जांच के लिए तृतीय पक्ष द्वारा आंकलन कराए जाने के लिए भी निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में पम्प हाउस एवं जलाशयों का निर्माण, पाइपलाइन कार्य, राइजिंग एवं वितरण पाइपलाइन का निर्माण, जल प्रदाय परियोजनाओं के साथ पेयजल परियोजनाओं के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अमृत 2.0 के अंतर्गत योजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं कार्ययोजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निविदा आमंत्रित एवं प्रक्रियाधीन, निविदा आमंत्रित करने वाली परियोजनाओं के साथ ही हेम (हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल) के अंतर्गत बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति एवं कार्ययोजना के बारे में अवगत कराया। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मालपुरा सांप्रदायिक दंगे के दौरान दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपी बरी

एसओजी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में पेश की अभियोजन स्वीकृति की प्रति

-कार्यालय संवाददाता-

- 25 साल पहले हुआ था दंगा, कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

जयपुर । सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने आरोपी रतनलाल, किशनलाल, रामस्वरूप, देवकरण, श्योजीराम, रामकिशोर, सुखलाल, छोटू, बच्छराज, किस्तुर, हीरालाल, सत्यनारायण और किशनलाल को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित नहीं कर पाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दस जुलाई, 2000 को मोहम्मद अली और सलीम की हत्या हुई थी। प्रकरण में शहजाद ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि समुदाय विशेष के लोगों ने उसके भाई मोहम्मद सलीम और चाचा मोहम्मद अली की हत्या की है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीके बाली और अधिवक्ता सोनल दाधीच ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने वाले ने भी किसी अन्य की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं घटना के समय मौके पर धारा 144 लगी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने जिन लोगों को चश्मदीद गवाह बताया है, उनकी मौके पर उपस्थिति संदेहजनक थी। इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया। इसके साथ ही एक के अलावा अन्य आरोपियों की शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। गौरतलब है कि 22 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट पूर्व में डिस्चार्ज कर चुका है। वहीं एक अन्य को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को बाल न्यायालय में भेजा गया था। वहीं शेष 13 आरोपियों को मंगलवार को अदालत ने बरी कर दिया। वहीं दो अन्य लोगों की हत्या के दूसरे मामले में इन्हीं 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विशेष अदालत उस मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाएगी।

जानकारी के अनुसार साल 2000 में मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था। इसमें एक पक्ष से हरिराम और कैलाश माली की मौत हो गई थी। वहीं दूसरे पक्ष के भी चार लोगों की मौत हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कराए गए थे। हरिराम की मौत के मामले में अदालत इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। जबकि कैलाश माली की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने बरी किया था।

डी.जी.जी.आई. टीम ने 50 करोड़ की कर चोरी पकड़ी

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। डीजीजीआई टीम ने चार ठिकानों पर छापामार कार्यवाही के जरिये फर्जी कंपनी बनाकर बोगस बिलों में करीब 50 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। सरदार सिंह की ढाणी, काली डूंगरी सहित तिलोनिया में जयपुर व अजमेर से आई टीमों द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान नरेंद्र, बलवीर, हंसराज, भरत के नाम सामने आये हैं।

टीम ने हंसराज व नरेंद्र को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गये। इन्होंने मार्बल ग्रेनाइट पर लगने वाले जीएसटी के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रूपये की कर चोरी की। रिक्शा चालक, ऑटो चालक जैसे लोगों के नाम से कंपनी बना रखी थी। फर्जी इनवॉइस में इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया है। फॉरेंसिक टीम की मदद से जुटाए जा रहे साक्ष्य जुटाये जा रहे हैं।

शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ढाका को जमानत नहीं

जयपुर । सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर प्रथम ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक से जुड़े मामले में आरोपी ओमप्रकाश ढाका को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि साल 2010 से साल 2024 तक आरोपी के खिलाफ विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक के कई प्रकरण दर्ज हुए हैं। वहीं एसओजी ने उस पर 75 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पिछले कुछ सालों में संगठित गिरोह के माध्यम से सरकारी भर्तियों के पेपर लीक किए जा रहे हैं। जिसके चलते काबिल और हकदार नौजवान नौकरी से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एसओजी के पास प्रार्थी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। मामले में दर्ज एफआईआर में भी उसका नाम नहीं है। वहीं उससे पूछताछ की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में सह आरोपी की पूर्व में जमानत हो चुकी है। वह नौजवान व्यक्ति है और गत जनवरी माह से जेल में बंद है। उसके जेल में अन्य कुख्यात अपराधियों के साथ रहने से उसके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पडेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि आरोपी ने परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र मुहैया कराने के लिए सौदा किया था। आरोपी पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई का काफी नजदीकी सहयोगी है। वहीं अदालत उसकी पहली जमानत अर्जी को भी खारिज कर चुकी है। घटना के बाद आरोपी ने जांच में असहयोग करने की मंशा से लंबी फरारी काटी और उस पर इनाम घोषित करना पडा। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह जमानत लेकर फिर से फरार हो सकता है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि मामले में आरोपी के खिलाफ साल 2022 में उदयपुर के बेकरिया थाने में मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट ने पढ़ाई की संभावना की जांच के लिए कमेटी बनाई

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के बीच छात्रा की दुर्घटना में देखने के सौ फीसदी क्षमता समाप्त होने के मामले में दिव्यांगजन आयुक्त और नेत्र विशेषज्ञ को शामिल करते हुए एम्स दिल्ली, की कमेटी गठित करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यह कमेटी देखे की याचिकाकर्ता अपनी शेष पढाई कैसे पूरी कर सकती है। वहीं यदि कमेटी की रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में आती है तो उसे एमबीबीएस पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश अंकिता सिंगोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया है। ऐसे में यह 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग अन्य उम्मीदवारों के लिए मिसाल नहीं बनेगा। अदालत ने याचिकाकर्ता की दृढ़ता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि पूरी तरह से दिव्यांग होने के बाद भी वह एमबीबीएस करना चाहती है, जबकि वह शपथ पत्र पेश कर कह चुकी है कि डिग्री लेने के बाद वह चिकित्सक के रूप में काम नहीं करेगी। याचिका में अधिवक्ता एसपी शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अगस्त, 2014 में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था।

आर.ए.एस. की मेरिट कम करने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2018 में आरएएस पद पर चयनित अधिकारी की उत्तर पुस्तिका के एक उत्तर में दो अलग-अलग प्राप्तांको के आधार पर मेरिट स्तर नीचे करने के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पदमा देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2018 में आरएएस भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होकर अंतिम मेरिट में 24वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद राज्य सरकार ने उसे आरएएस पद पर नियुक्ति देकर बाद में उसका स्थायीकरण भी कर दिया। याचिकाकर्ता विभिन्न जिलों में एसडीओ रहने के बाद फिलहाल लाडनूं में एसडीओ पद पर तैनात है। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने उसे गत 1 मई को नोटिस भेजा कि उत्तर पुस्तिका के भाग संख्या सी के प्रश्न संख्या 34 में परीक्षक ने उसे एक जगह शून्य और एक जगह सात अंक दिए हैं। ऐसे में वे आयोग में पेश होकर अपना जवाब पेश करें। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि परीक्षक की ओर से दिए अंकों को लेकर याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है। वहीं आरएएस परीक्षा नियम के नियम 18 के तहत अंकों की केवल पुन: गणना ही हो सकती है और परीक्षार्थी की ओर से दिए उत्तर का पुन: परीक्षण नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया कि अब उसकी मेरिट 24 से घटाकर 39 सी कर दी गई है। जिससे वह समान बैच के 14 अफसरों से जूनियर हो गया है।

अनोखा फैशन शो : 62 लाख की ज्वैलरी पहनकर हाथी 'बाबू' ने किया रैंप वॉक

हथिनी जोनाली ने 18वें जन्मदिन पर केक काटा, साथी हाथियों ने बुफे में खाना खाया

जयपुर । विश्व हाथी दिवस पर मंगलवार शाम को जयपुर में आमेर स्थित ''हाथी गांव'' में अनोखा फैशन शो हुआ। इसमें 15 हाथियों ने चांदी के गहने और पारंपरिक पोशाक पहन कर 50 मीटर लंबे रैंप पर वॉक की। इकलौते मेल हाथी 'बाबू' ने 62 लाख की ऐतिहासिक ज्वैलरी पहनकर शो की शुरुआत की। बाबू को राजा-महाराजाओं के जमाने की चांदी से बनी श्री, कंठा और पायजेब पहनाई गई थी। बाबू के साथ ही हाथी गांव की सबसे फेमस हथिनी हेमा वन्य जीव प्रेमियों के बीच पहुंची। हेमा के महावत ने भी राजस्थानी पोशाक पहनी। हथिनी पुष्पा और चंदा ने भी शाही अंदाज में सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान हथिनी जोनाली का 18वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। हथिनी ने अपनी सूंड से केक काटा। सभी हाथियों ने बुफे में सामूहिक भोजन किया। इसमें केला, सेब, ब्रेड, गन्ना, खीरा परोसे गए।

हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि फैशन शो में 15 हाथियों ने पारंपरिक ज्वेलरी और पोशाक पहनकर 50 मीटर लंबे कार्पेट पर वॉक की। हाथी गांव के सबसे फेमस 18 साल के हाथी बाबू ने 62 लाख रुपए की चांदी से बनी ऐतिहासिक ज्वेलरी पहन रैंप वॉक की शुरुआत की। हथिनी हेमा, पुष्पा और चंदा ने भी पारंपरिक पोशाक व ज्वेलरी पहन बाबू के साथ वॉक की।

बल्लू खान बताया कि हाथी गांव के हाथियों ने देसी और विदेशी मेहमानों का खास ढंग से स्वागत कर रखा है। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, भारत के पॉलिटिशियन और बॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं।

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में डी.आर.डी.ओ. गेस्ट हाउस चांदन फिल्ड फायरिग रैंज का संविदाकर्मी मैनेजर गिरफ्तार

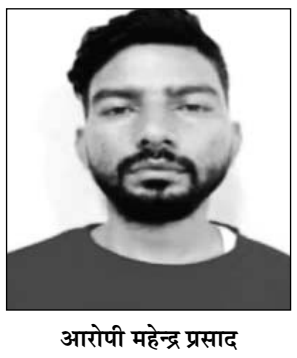

आरोपी महेन्द्र प्रसाद

जयपुर। राजस्थान सीआईडी इन्टेलीजेंस ने कार्रवाई करते हुए जासूसी के आरोप में डीआरडीओ गेस्ट हाउस चांदन फिल्ड फायरिग रेंज जैसलमेर के संविदाकर्मी मैनेजर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज. जयपुर डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि आने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सीआईडी इन्टेलीजेंस ने विदेशी एजेन्टो की और से प्रदेश में की जाने वाली सम्भावित राष्ट्र विरोधी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

इसी निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि पल्यू, अल्मोड़ा, उतराखण्ड निवासी महेन्द्र प्रसाद जो कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस चांदन फिल्ड फायरिग रेंज जैसलमेर में संविदाकर्मी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एंजेसी के सम्पर्क में है तथा चांदन फिल्ड फायरिग रेंज जैसलमेर में मिसाइल व अन्य हथियारों के परीक्षण कार्य के लिए आने वाले डीआरडीओ वैज्ञानिको एवं भारतीय सेना के अधिकारियों के आवागमन से संबंधित गोपनीय सूचनाएं पाक हैण्डलर को उपलब्ध करवा रहा है।

जिस पर संदिग्ध महेन्द्र प्रसाद से केन्द्रीय पूछताछ केन्द्र जयपुर पर विभिन्न आसूचना एंजेसियों द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ करने एवं उसके मोबाईल फोन का तकनीकी परीक्षण करवाये जाने पर उसके द्वारा डीआरडीओ व भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं पाक हैण्डलर को उपलब्ध करवाना पाया गया।

जिस पर संदिग्ध महेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध शासकीय गुप्त बातअधिनियम 1923 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर सीआईडी इन्टेलीजेन्स राजस्थान द्वारा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया हैं।